

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

वृहस्पतिवार , 20 मई, 2010 / बैसाख 30, 1932 (शक)

संख्या-77

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली, जिला नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

“मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री रमेश विधूड़ी, डॉ जगदीश मुखी व श्री मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत कानून व्यवस्था व जन शांति बनाये रखने के लिए प्रथम बैरीकेड, पुलिस थाना संसद मार्ग के सामने से आज दिनांक 12.05.2010 को अपराह्न 12.40 बजे नज़रबंद किया गया।

उन्हे उसी दिन अर्थात दिनांक 12.05.2010 अपराह्न 12.55 बजे रिहा कर दिया गया।”

पी.एन.मिश्रा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Thursday, 20th May 2010/ 30 Vaisakha, 1932 (Saka)

No.77

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from ACP, New Delhi Distt., New Delhi.

“I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi; Shri Ramesh Bidhuri, Dr.Jagdish Mukhi and Shri Mohan Singh Bisht were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for maintaining law and order and public peace from Ist barricade Police Station Parliament Street, New Delhi at 1240 hours on 12.05.2010.

They were released at 1255 hours from the same place on the same date.”

P. N. MISHRA

Secretary